बिहार सरकार,
गन्ना उद्योग विभाग

अधिसूचना

एस०ओ०सं०–02 / रेगु०–2–1200–02 / 2026– 119/cc(b) / पटना, दिनांक– 15 मई, 2026

माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा **CWJC No.-1373/2026** मेसर्स तिरूपति सुगर लिमिटेड (बगहा चीनी मिल), प० चम्पारण बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में दिनांक– 15.04.2026 को निम्नलिखित आदेश पारित किया गया है :–

"Considering the stand taken by the authorities and there being no adherence of the statutory provisions, which aspect has already been considered by the Co-ordinate Bench of this Court in the case of M/s Vishnu Sugar Mills Limited and Another (Supra), and such consideration being apparently absent in the impugned orders, this Court finds it appropriate to set aside the original order as well as the appellate order, which is annexed in the writ petition as Annexure-P/5 and Annexurer-P/6 respectively.

Accordingly, in view of the impugned orders having been set aside, the Respondent No.-3, The Cane Commissioner, Sugarcane Industries Development, Government of Bihar, Patna is directed to undertake the process of consideration of settlement of disputed 10 villages by providing proper hearing to all the parties concerned within a period of four weeks and necessary orders shall be passed strictly in light of the statutory provisions and also the parameters fixed by a Co-ordinate Bench of this Court in the case referred hereinabove, to avert further litigation in the matter.

Accordingly, the writ petition is disposed off."

माननीय उच्च न्यायालय, पटना के उपरोक्त आदेश के आलोक में तथा सम्यक सुनवाई के पश्चात् ईखायुक्त, बिहार द्वारा दिनांक–15.05.2026 को आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश की प्रति **अनुलग्नक–1 पर है।**

उपरोक्त के आलोक में बिहार ईख अधिनियम–1981 की धारा 31(1) के तहत् प्रदत्त शक्तियों के आलोक में मेसर्स तिरूपति सुगर्स लिमिटेड, बगहा, प० चम्पारण एवं मेसर्स एच०पी०सी०एल० बायोफ्यूल्स लि०, लौरिया, पश्चिम चम्पारण को निम्नवत् ग्राम आरक्षित करते हुए अधिसूचित किया जाता है :–

पश्चिम चम्पारण जिलान्तर्गत योगापट्टी प्रखण्ड के 1 ग्राम–चौमुखा–36 को मेसर्स तिरूपति सुगर्स लिमिटेड, बगहा, प० चम्पारण के साथ एवं शेष 9 ग्राम यथा डिहीं–361, कौलापुर–357, भवानीपुर–401, हरिहरपुर–358, सेमरी भवानीपुर–404, सेमरी–415, निमुईया–417, चन्द्रौल–418, एवं बड़हरवा–44 को मेसर्स एच०पी०सी०एल० बायोफ्यूल्स लि०, लौरिया, पश्चिम चम्पारण के पक्ष में परम्परागत रूप से पेराई सत्र 2025–26 से 2029–30 (05 वर्षो) में शेष अवधि के लिए आरक्षित रहेंगे।

पूर्व में निर्गत विभागीय आदेश संख्या–1782 / ई०का० दिनांक–26.09.2025 को इस हद तक संशोधित किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

15/5/2026

(अनिल कुमार झा)
ईखायुक्त, बिहार।

Notification(sns)ls

ज्ञापांक–02/रेगु०–2–1200–02/2026– /पटना, दिनांक– मई, 2026

प्रतिलिपि:–प्रभारी, वित्त विभाग (ई–गजट, प्रशाखा) बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के असधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक–02/रेगु०–2–1200–02/2026– /पटना, दिनांक– मई, 2026

प्रतिलिपि–समाहर्त्ता–सह–अध्यक्ष, क्षेत्रीय विकास परिषद्, बगहा, प० चम्पारण/ईख पदाधिकारी, रामनगर अंचल, बेतिया–सह–सचिव, क्षेत्रीय विकास परिषद्, बगहा, प० चम्पारण/ईख पदाधिकारी, बेतिया अंचल, बेतिया/महाप्रबंधक, मेसर्स तिरूपति सुगर्स लि०, बगहा, पश्चिम चम्पारण/मेसर्स एच०पी०सी०एल० बायोफ्यूल्स लिमिटेड, इकाई–लौरिया, पश्चिम चम्पारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक–02/रेगु०–2–1200–02/2026– /पटना, दिनांक– मई, 2026

प्रतिलिपि–सचिव, गन्ना उद्योग विभाग के प्रधान आप्त सचिव/ईखायुक्त, बिहार, पटना के निजी सहायक/संयुक्त ईखायुक्त/सहायक ईखायुक्त (मु०) को सूचनार्थ प्रेषित।

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक–02/रेगु०–2–1200–02/2026– 119/cc(b) /पटना, दिनांक– 15 मई, 2026

प्रतिलिपि–आई० टी० प्रबन्धक, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना को वेवसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

ईखायुक्त, बिहार।

अनुलग्नक -1

CWJC No. 1373/2026 मेसर्स तिरूपति सुगर्स लिमिटेड बनाम् राज्य सरकार एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक–15.04.2026 को पारित आदेश के आलोक में सुनवाई।

आदेश पत्रक

आदेश का संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
15.05.2026	संचिका, आवेदक मेसर्स तिरूपति सुगर मिल्स (बगहा चीनी मिल), पश्चिम चम्पारण द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में **CWJC No.- 1373/2026** बिहार सरकार एवं अन्य के विरूद्ध दाखिल निम्नलिखित अनुतोष :– i. प्रधान सचिव, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार द्वार दिनांक–11.12.2025 को अपील वाद संख्या–04 / 2025 में पारित आदेश को निरस्त करने। ii. ईखायुक्त, बिहार द्वारा U/s-31 of the Bihar Sugarcane (Regulation of Suply and Purchase) Act. 1981 के अंतर्गत दिनांक–26.09.2025 को पारित आरक्षित आदेश संख्या–02 / रेगु०–02–800–07 / 2020–1782 / ई०का० / पटना को निरस्त करने जिसके द्वारा पेराई सत्र 2025–26 से 2029–30 के लिए 10 (दस) पाड़ा ब्लाटी गाँव, HPCL, लौरिया, प० चम्पारण के पक्ष में आरक्षित किया गया, जबकि उक्त पारम्परिक गाँव आवेदक के पक्ष में आरक्षित था। iii. पारित आदेश दिनांक–11.12.2025 को स्थगित करने। iv. आवेदक के पक्ष में प्रश्नगत आरक्षित 10 ग्राम आवेदक के पक्ष में आरक्षित करने। पर सुनवाई हेतु उपस्थापित किया गया। माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा उक्त **CWJC No.-1373/2026** मेसर्स तिरूपति सुगर लिमिटेड (बगहा चीनी मिल), प० चम्पारण बनाम बिहार सरकार एवं 05 अन्य में दिनांक–15.04.2026 को निम्नलिखित आदेश पारित किया गया :– "Considering the stand taken by the authorities and there being no adherence of the statutory provisions, which aspect has already been considered by the Co-ordinate Bench of this Court in the case of M/s Vishnu Sugar Mills Limited and Another (Supra), and such consideration being apparently absent in the impugned orders, this Court finds it appropriate to set aside the original order as well as the appellate order, which is annexed in the writ petition as Annexure-P/5 and Annexurer-P/6 respectively. Accordingly, in view of the impugned orders having been set aside, the Respondent No.-3, The Cane Commissioner, Sugarcane Industries Development, Government of Bihar, Patna is directed to undertake the process of consideration of settlement of disputed 10 villages by providing proper hearing to all the parties concerned within a period of four weeks and necessary orders shall be passed strictly in light of the statutory provisions and also the parameters fixed by a Co-ordinate Bench of this Court in the case referred hereinabove, to avert further litigation in the matter.	

Accordingly, the writ petition is disposed of."

उपरोक्त आदेश के आलोक में सुनवाई के दौरान श्री वेदव्रत कुमार, सहायक ईखायुक्त, श्री रेमन्त झा, ईख पदाधिकारी, बेतिया अंचल, बेतिया, श्री श्रीराम सिंह, ईख पदाधिकारी, रामनगर अंचल, बेतिया, श्री विनोद कुमार, महाप्रबंधक, मेसर्स एसपीसीएल बायोफ्यूल्स लि०, इकाई–लौरिया, पश्चिम चम्पारण, श्री बी०एन०त्रिपाठी, मेसर्स तिरूपति सुगर्स लिमिटेड, बगहा, प० चम्पारण एवं आवेदक मेसर्स तिरूपति सुगर लिमिटेड (बगहा चीनी मिल), प० चम्पारण के विद्वान अधिवक्ता श्री रमेश कुमार अग्रवाल, उच्च न्यायालय, पटना तथा विपक्षी HPCL, लौरिया के विद्वान अधिवक्ता श्री विकास रत्न भारती, उच्च न्यायालय, पटना उपस्थित हैं।

आवेदक मेसर्स तिरूपति सुगर लिमिटेड के विद्वान अधिवक्ता अपने लिखित कथन के आधार पर कथन करते हैं कि बगहा चीनी मिल का पेराई क्षमता को 8000 TCD से 10000 TCD प्रतिदिन बढ़ाया गया है। पेराई सत्र 2018–19 के लिए पूर्व में मेसर्स HPCL, लौरिया को 22 ग्राम, जिसमें प्रश्नगत 10 ग्राम भी शामिल है, आवंटित किया गया परंतु मेसर्स HPCL, लौरिया किसी दुसरे चीनी मिल को उक्त आवंटन को स्वीकार करने का अनुरोध नहीं किये। इसी बीच आरक्षण आदेश संख्या–1407 दिनांक–12.09.2018 के द्वारा पेराई सत्र 2018–19 के लिए उक्त ग्राम आवेदक को आवंटित किया गया। उनका यह भी कथन है कि आदेश Under Memo No.-1603 दिनांक–25.10.20218 से 22 गाँव में से मेसर्स हरिनगर सुगर मिल्स (08), मेसर्स न्यू स्वदेशी सुगर मिल (07 गाँव), मेसर्स HPCL, लौरिया (05 गाँव), एवं आवेदक को (02 गाँव) आवंटित किया गया परंतु मेसर्स हरिनगर सुगर मिल्स एवं मेसर्स न्यू स्वदेशी सुगर मिल द्वारा स्वीकार नहीं करने पर आरक्षण आदेश संख्या–1864 दिनांक–19.12.2018 द्वारा 17 गाँव जिसमें प्रश्नगत सम्मिलित 10 गाँव आवेदक के पक्ष में आरक्षित किया गया। शेष 05 गाँव लौरिया सुगर फैक्ट्री के लिए आरक्षित किया गया परंतु लौरिया सुगर फैक्ट्री द्वारा कोई आपत्ति नहीं उठाया गया।

विद्वान अधिवक्ता का यह भी कथन है कि प्रश्नगत 10 गाँव के अतिरिक्त शेष 07 गाँव पेराई सत्र 2018–19 से 2024–25 के लिए 07 वर्ष के लिए आवेदक के पक्ष में आवंटित किये गये थे और उक्त अवधि में आवेदक द्वारा पुल–पुलिया, सड़क आदि पर भारी रकम खर्च किया गया है।

विद्वान अधिवक्ता का यह भी कथन है कि बिहार में सुगरकेन का संचालन बिहार सुगरकेन रेगुलेशन एक्ट–(आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) अधिनियम 1981 से किया जाता है।

विद्वान अधिवक्ता का यह भी कथन है कि आवेदक के मिल का पेराई क्षमता 10000 TCD प्रतिदिन है जबकि लौरिया चीनी मिल की पेराई क्षमता 3500 TCD प्रतिदिन है। पेराई सत्र 2021 –2025 के लिए प्रश्नगत पारम्परिक 10 गाँव आवेदक के पक्ष में आरक्षित आदेश द्वारा आवंटित किया गया है। उनका यह भी कहना है कि किसानों द्वारा प्रश्नगत ग्राम के आरक्षण हेतु ईख पदाधिकारी, रामनगर अंचल के समक्ष ग्राम आरक्षण हेतु आवेदन भी दाखिल किये हैं, जो आवेदक के लिखित कथन के साथ अनुलग्नक–11 एवं 12 पर दिया गया है। अंत में विद्वान अधिवक्ता

आवेदक के पक्ष में प्रश्नगत 10 ग्राम को आरक्षित करने एवं विपक्षी के दावा को निरस्त करने का अनुरोध करते है।

विपक्षी मेसर्स HPCL, लौरिया के विद्वान अधिवक्ता अपना पक्ष लिखित कथन के आधार पर कथन करते हैं कि ईखायुक्त, बिहार पटना U/s.-31 of the Bihar Sugarcane Act के अंतर्गत दिनांक–26.09.2025 को पारित आरक्षण आदेश से 10 ग्राम योगपट्टी ब्लॉक, HPCL, लौरिया यूनिट के पक्ष में आरक्षित किये उक्त आदेश के विरूद्ध आवेदक तिरूपति सुगर लि० प्रधान सचिव, गन्ना विकास विभाग के समक्ष अपील संख्या–04/2025 दायर किये विद्वान प्रधान सचिव, गन्ना विकास विभाग अपने आदेश दिनांक– 11.12.2025 से ईखायुक्त, बिहार द्वारा पारित आदेश को सही ठहराया।

उक्त आदेश के विरूद्ध आवेदक तिरूपति सुगर लि० माननीय उच्च न्यायालय, पटना के समक्ष CWJC No.-1373/2025 दायर कियें। माननीय उच्च न्यायालय, पटना आदेश दिनांक–15.04.2026 से उक्त रिट आवेदन को निष्पादित करते हुए मामला को ईखायुक्त, बिहार को इस निर्देश के साथ वापस किया कि संबंधित पक्षों को सुनने के पश्चात् afresh order पारित की जाय।

माननीय उच्च न्यायालय, पटना के पारित उक्त आदेश के आलोक में विपक्षी HPCL, लौरिया यूनिट के विद्वान अधिवक्ता भाग लेकर कथन करते हैं कि U/s 31 of the Bihar Sugarcane Act, 1981 के तहत् ईखायुक्त, बिहार द्वारा पारित आदेश वैद्य है। पेराई सत्र 2018–19 और 2019–20 के दौरान प्रश्नगत् 10 आरक्षित ग्राम जो पूर्व में HPCL, लौरिया यूनिट का था, उसे मेसर्स तिरूपति सुगर लि० को आवंटित किया गया एवं पुनः क्रय सत्र 2020–21 एवं 2024–25 को पारंपरिक ग्राम 05 वर्ष के लिए आवेदक के पक्ष में आवंटित किया गया जो कि HPCL, लौरिया द्वारा उपयोग किया जाता था। प्रश्नगत् ग्राम आवेदक तिरूपति सुगर लि० के पक्ष में आवंटित होने से लौरिया चीनी मिल को आवश्यकतानुसार गन्ने की आपूर्ति नहीं हो रहा है। उक्त प्रश्नगत् ग्राम का बगहा चीनी मिल से दूरी की तुलना में लौरिया मिल से सड़क संपर्कता एवं आवागमन की सुलभता है, जिससे किसानों को गन्ना आपूर्ति में आसानी होती है। विद्वान अधिवक्ता का यह भी कथन है कि वर्ष 1997 में लौरिया चीनी मिल को 173 पारंपरिक ग्राम आरक्षित था। वर्तमान में लौरिया चीनी मिल की क्षमता 3500 TCD है। जबकि पारंपरिक आरक्षित ग्राम 160 हो गया है।

विद्वान अधिवक्ता का यह भी कथन है कि लौरिया यूनिट द्वारा हमेशा आवेदक के पक्ष में आवंटित प्रश्नगत ग्राम के विरूद्ध आपत्ति दर्ज करायी गयी है जो लिखित कथन के अनुलग्न सं०–6/3 पर दिया गया है।

अतः वर्तमान रिमांड केस खारिज होन योग्य है और योगापट्टी ब्लॉक के 10 ग्राम पेराई सत्र 2026–27 से 2029–30 के लिए पुनः HPCL, लौरिया यूनिट के पक्ष में आवंटित करने का निवेदन करते हैं।

ईख पदाधिकारी, रामनगर अंचल, बेतिया के द्वारा दाखिल लिखित कथन के अनुसार उनका कथन है कि– सभी 17 ग्राम लौरिया चीनी मिल के पुनर्परिचालन प्रारम्भ होने से लेकर पेराई सत्र 2017–18 तक आरक्षित थे, परंतु कुछ तकनीकी समस्या होने के कारण इन ग्रामों को तत्कालीक गन्ना निष्पादन हेतु अन्य मिलों

से संबद्ध करने हेतु विभाग से अनुरोध किया गया था। वर्ष 2025–26 में सम्यक विचारोपरांत क्षेत्रीय विकास परिषद द्वारा लौरिया चीनी मिल के अनुरोध पर माँगें गये 17 गाँव में से 10 गाँव पुनः लौरिया चीनी मिल को तथा शेष 07 ग्राम बगहा चीनी मिल को क्षमता विस्तार के फलस्वरूप गन्ना की आवश्यकता की पूर्ति को ध्यान में रखते हुए यथावत् इस मिल से संबद्ध रखने हेतु अनुशंसा की गयी। लौरिया चीनी मिल जिसकी पेराई क्षमता 3500 TCD है को वर्तमान में मात्र 160 ग्राम आरक्षित है एवं मिल को आवश्यकता के अनुरूप गन्ने की उपलब्धता नहीं हो पा रही है।

उपरोक्त बिन्दुओं को दृष्टिपथ में रखते हुए ZDC के द्वारा पुनः इस मिल के साथ सम्बद्ध करने हेतु अनुशंसा की गयी। अतः ZDC के अनुशंसा के आलोक में विभाग द्वारा निर्गत आदेश संख्या– 1789/ई०का० दिनांक–06.10.2025 को यथावत रखने पर विचार किया जा सकता है।

ईख पदाधिकारी, बेतिया अंचल, बेतिया के द्वारा दाखिल लिखित कथन के अनुसार– लौरिया चीनी मिल को भी आवश्यकता के अनुरूप गन्ना की उपलब्धता नहीं हो पा रही है। अतः उनके द्वारा आरक्षित 17 ग्राम के आरक्षण हेतु प्रस्ताव तथा ZDC के द्वारा पुनः आरक्षित करने की अनुशंसा अनुचित नहीं है। पुनः आरक्षित किये गये ग्रामों का मिल से सड़क सम्पर्कता तथा आवागमन की सुलभता है, जिससे किसानों को गन्ना आपूर्ति में आसानी होती है। अतः इन ग्रामों को लौरिया से संबंद्ध करना उचित एवं नियमसंगत है।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना एवं दाखिल कागजातों को परिशीलन किया।

माननीय उच्च न्यायालय, पटना के CWJC No.-1373/2026 (मेसर्स तिरूपति सुगर्स लि० बनाम राज्य सरकार एवं अन्य) ने दिनांक–15.04.2026 को पारित न्यायादेश एवं उभय पक्षों के ओर से दाखिल कागजातों के आलोक में इस प्रस्तावित मामला में न्याय निर्णय हेतु– माननीय उच्च न्यायालय, पटना के न्यायादेश दिनांक–15.04.2026 के आलोक में तर्कसंगत आदेश पारित करना आवश्यक है एवं माननीय उच्च न्यायालय, पटना के आदेश एवं ईख अधिनियम के अंतर्गत सकारण आदेश पारित करने की आवश्यकता है तथा सभी पक्षकारों का पक्ष लेना उचित है।

तद्नुसार, वर्तमान मामला में विचार करने के लिए यह उदृत करना आवश्यक है कि बिहार ईख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) अधिनियम–1981 की धारा–31(1) में प्रावधान है कि "आरक्षित क्षेत्र की घोषणा :– (1) ईख आयुक्त, कारखाने की पेराई की क्षमता, ऐसे क्षेत्र में ईख की उपलब्धता तथा चीनी के उत्पादन की आवश्यकता का ध्यान रखते हुए और संबंद्ध परिषद्, कारखाने के दखलकार तथा प्रभावित होने वाले अन्य कारखाने के दखलकारों से परामर्श करने के बाद और उठाई गई किसी आपत्ति पर विचार कर लेने के बाद, सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा किसी भी क्षेत्र का किसी खास पेराई साल या सालों में कारखानें को ईख की आपूर्ति के प्रयोजन से आरक्षित क्षेत्र घोषित करने का आदेश जारी कर सकेगा और उसी प्रकार ऐसे किसी आदेश को रद्द कर सकेगा या ऐसे आरक्षित किए गए क्षेत्र के विस्तार में परिवर्तन कर सकेगा।"

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा उद्धृत न्यायादेश मेसर्स विष्णु सुगर मिल्स लि० एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य (Reported in (2005) 2PLJR 495) में उल्लेखित है कि– " a. The Cane Commissioner must follow the statutory calendar strictly and must ask for and received the reservation proposal as provided under the statutory calendar.

b. After holding meeting(s) and after hearing the parties on their respective proposals and after consulting the *Zonal Development Council*, the *Cane Commissioner* must pass a speaking order of reservation taking into account the proposals of the respective sugar factories, his reasons for accepting or not accepting or partly accepting the proposals of any sugar factories and finally his direction regarding reservation of villages in favour of different sugar factories.

c. Reservation of traditional villages in favour of different sugar factories must be made at least for 5 years. In case during the period of 5 years, any of the sugar factories is closed down, it will be open to the Cane Commissioner to pass a supplemetary order for one crushing season or for the remaining period of the reservation dealing with reallocation of the traditional villages of the sugar factory (ies) to other sugar factories after observing the requirement of notice and hearing as provided under Section 31 of the Act.

d. The reservation of villages other than the traditional villages shall be for a period of not less than 3 years. The provision for making a supplementary order in case the sugar factory closes down shall apply also in the case of these villages.

e. The order must be sent to Gulzarbagh Printing Press well in advance so that it is published at least a fornight before the start of the crushing operation.

उपरोक्त उद्धरण के आधार पर परम्परागत रूप से ग्रामों का आरक्षण कम से कम 05 वर्षों के लिए किया जाना है, जो माननीय न्यायालय के न्यायादेश से भी आच्छादित है। अत्एव, प्रश्नगत् दस ग्राम का आरक्षण पूर्व के आदेश 2024–25 में समाप्त हो चुका है। अत्एव वर्ष 2026–27 से आगे पाँच वर्षों के लिए परम्परागत रूप से आरक्षित करने पर पूर्ण विचार योग्य है।

अत्एव, विभागीय आदेश संख्या–1789/ई०का० दिनांक–06.10.2025 द्वारा 10 ग्राम यथा 1. डिही–361, 2. कौलापुर–357, 3. भवानीपुर–401, 4. हरिहरपुर–358, 5. सेमरी भवानीपुर–404, 6. सेमरी–415, 7. निमुईया–417, 8. चन्द्रौल–418, 9. चौमुखा–36 एवं 10. बड़हरवा–44 लौरिया चीनी मिल को अगले पाँच वर्षों के लिए परम्परागत रूप से आरक्षित किया गया है।

विदित हो कि विभागीय अभिलेख के आधार पर वर्ष 2025–26 में चौमुखा के समीप अवस्थित दो ग्राम बैसिया (राजस्व थाना सं०–364) एवं बैसिया खाप (राजस्व थाना सं०–363) तिरूपति सुगर्स लि०, बगहा को आरक्षित है। विगत पेराई सत्र में उक्त ग्रामों का मार्ग नारायणी नदी के एक शाखा से अवरूद्ध होने के कारण पेराई हेतु उपलब्ध गन्ना के निष्पादन में बगहा चीनी मिल को एवं उक्त ग्रामों के कृषकों को कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा था। पूर्व के

वर्षों में इन ग्रामों के गन्ने का निष्पादन बगहा चीनी मिल द्वारा चौमुखा (राजस्व थाना सं०–36) में पथ–क्रय केन्द्र स्थापित कर किया जाता था, परन्तु विगत वर्ष से यह गाँव लौरिया चीनी मिल को आरक्षित होने के कारण वहाँ बगहा चीनी मिल द्वारा स्थायी रूप से पथ–क्रय केन्द्र स्थापित कर गन्ने का निष्पादन करना संभव नहीं हो सका। इन गाँवों के गन्ना निष्पादन हेतु विभागीय पत्रांक–2219 दिनांक–10.12.2025 द्वारा दिशा–निर्देश निर्गत किया गया था, इससे समस्या का तात्कालीक समाधान तो हुआ परन्तु इसका स्थायी समाधान संभव नहीं हो सका है।

आदेश :– उपरोक्त परिपेक्ष्य में सम्यक विचारोपरांत एवं सभी संबंधित पक्षों को सुनने तथा दाखिल कागजातों के परिशीलन एवं आरक्षित ग्रामों के भौगोलिक स्थिति के आधार पर तथा किसानों को गन्ना आपूर्ति में सुविधा को ध्यान में रखते हुए ग्राम– चौमुखा मेसर्स तिरूपति सुगर लि०, बगहा, पश्चिम चम्पारण के पक्ष में एवं आरक्षित ग्राम 1. डिही, 2. कौलापुर, 3. भवानीपुर, 4. हरिहरपुर, 5. सेमरी भवानीपुर, 6. सेमरी, 7. निमुईया, 8. चन्द्रौल एवं 9. बड़हरवा मेसर्स एच.पी.सी.एल., लौरिया के पक्ष में परमपरागत रूप से पेराई सत्र 2025–26 से 2029–30 (05 वर्षों) में शेष अवधि के लिए ईखापूर्ति हेतु आरक्षित किया जाता है।

उक्त के अनुसार पूर्व में निर्गत आदेश इस हद तक संशोधित किया जायेगा।

(अनिल कुमार झा)
ईख आयुक्त, बिहार।

लेखापित एंव शुद्धित